

**बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग**

आदेश

दिनांक-30.12.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारियों के टीम के द्वारा शिक्षा संस्था के सोनपुर (सारण) अवस्थित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 08020003 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति नगण्य पायी गयी। निरीक्षण में यह पाया गया कि इस केन्द्र के लैब में दो कंप्यूटर की कमी है, साथ ही प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के लिए अधिष्ठापित Biometric device भी काम नहीं कर रहा है। निरीक्षण में यह पाया गया कि एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा एक से ज्यादा System के साथ login किया गया था, जो अनियमितता का परिचायक है।

निरीक्षण में पाये गये त्रुटियों के आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-BSDM/SDM-18/2017-133 दिनांक-05.02.2018 के द्वारा कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा सोनपुर (सारण) KYP code 08020003 से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध कर दिया गया।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में संस्था की सचिव श्रीमती रघुति सिंह के द्वारा अपने पत्र संख्या-Shiksha/KYP/BSDM/042 दिनांक-08.02.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि दो Laptop के Keypad में खराबी थी, जिसे Repair के लिए 29 दिसम्बर को भेजा गया था। दिनांक-01 जनवरी, 2018 को Repair के पश्चात ये Laptop प्राप्त हो गये तथा वर्तमान में वहाँ 22 Laptop क्रियाशील हैं। प्रशिक्षणार्थियों की नगण्य उपस्थिति के बिन्दु पर एजेंसी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि नव वर्ष का अवसर होने के कारण केन्द्र पर छात्रों की उपस्थिति कम हो गयी थी। Biometric device के अक्रियाशील होने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि Biometric device कुछ दिनों से सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसे बदल दिया गया है तथा 02 जनवरी, 2018 से इस केन्द्र पर नया Biometric device स्थापित कर दिया गया है। एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा एक से अधिक System पर login किये जाने के बिन्दु पर एजेंसी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि एक System पर सेशन आगे नहीं बढ़ने के कारण प्रशिक्षणार्थी के द्वारा दूसरे System पर login किया गया था तथा उनकी मंशा अन्यथा नहीं थी।

एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। केन्द्र पर आवश्यक संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, Biometric device प्रशिक्षण सत्र के दौरान उपलब्ध नहीं रहने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के विपरित है। एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा Learning facilitator की उपस्थिति में एक System से ज्यादा पर login किये जाने को यह माना जा सकता है कि उनके द्वारा Learning facilitator के सहयोग से किसी अन्य प्रशिक्षणार्थी के सेशन को बिना उनके प्रशिक्षण में उपस्थित हुए आगे बढ़ाने का प्रयास है।

अतः एजेंसी मेसर्स शिक्षा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए उनके कौशल प्रशिक्षण केन्द्र सोनपुर KYP code 08020003 के अवलम्बन नामांकन को विमुक्त किया जाता है। साथ ही उनके माह नवम्बर, 2017 के बैच के Final Infoice से 30% की राशि की कटौती की जाती है। एजेंसी मेसर्स शिक्षा को यह भी चेतावनी निर्गत की जाती है कि भविष्य में इस केन्द्र KYP code 08020003 पर किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनके इस केन्द्र के नामांकन को स्थायी रूप से अवलम्बन कर दिया जायेगा तथा नामांकित छात्रों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात इस केन्द्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।


ज्ञापांक-BSDM/SDM-18/2016- 273

पटना, दिनांक- 09-03-2018

प्रतिलिपि- (1) श्रीमती स्वाति सिंह, सचिव, शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, वित्त को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी शिक्षा के सोनपुर(सारण) अवस्थित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 08020003 के माह नवम्बर, 2017 बैच के Final Invoice से 30% की राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें। मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC को परिचारित करना सुनिश्चित करें।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, सारण/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक, MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें।


प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।